



भारत सरकार
Government of India
केन्द्रीय जल आयोग
Central Water Commission
निचली यमुना मण्डल
Lower Yamuna Division



404-409, सेक्टर 12 सी, आवास विकास कालोनी, आगरा- 282007 दूरभाष/Tele: 0562 - 2604424
404-409, Sector 12-C, Avas Vikas Colony, Agra- 282007 टेलीफैक्स/Telefax: 0562 - 2602268

ई मेल / e-mail:
eelyd-cwc@nic.in

संख्या : 14/5/प्रयोग/नि.य.म./2018/ 1967-70

दिनांक : 20-04-2018

मूल्य कथन आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिये तथा उनकी ओर से अधिशासी अभियंता, निचली यमुना मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग आगरा द्वारा उत्पादकों तथा पात्र आपूर्तिकर्ताओं से निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु मुहरबंद मूल्य कथन आमंत्रित किये जाते हैं:

S.No.	Name	Qty.	Rate (Rs.) (Including GST & other taxes)	Amount (Rs.)
1.	Potassium Chloride Salt (CRM/ NIST SRM) 50gm	01 No.		
2.	Formazine Turbidity Standard Solution 4000 NTU (CRM/ NIST SRM) 100 ml	01 No.		
3.	1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, GR- Grade 100gm	01 No.		
4.	Sodium Hydrogen Sulphite (NaHSO ₃), Gr- Grade 500 gm	01 No.		
5.	Ammonium Sulphate((NH ₄) ₂ SO ₄) Gr- Grade 500 gm	01 No.		
6.	1,2- Cyclohexylenediaminetetraacetic acid (CDTA) 100gm	01 No.		
7.	Aluminum Sulphate (Al ₂ (SO ₄) ₃ - 18H ₂ O) 500gm	01 No.		
8.	Potassium Bi-Iodate{ [KH(IO ₃) ₂] } 50 gm	01 No.		
TOTAL				

Terms and conditions:

1. The above supply is to be carried out at the above mentioned office address.
2. Pre-receipted bill in triplicate shall be submitted for making payment.
3. Payment shall be made online by PFMS after the supply carried out satisfactory.
4. Taxes as applicable shall be deducted at source.
5. The rate shall be valid for 90 days minimum from the date of opening of Quotation.
6. The supply shall be carried out within 30 days from the date of supply order.
7. The rates shall be **inclusive of all type of taxes and levies**. No extra payment on any account shall be made.
8. The supply must be strictly done as per specifications, otherwise liable for rejection.

मुहरबंद मूल्य-कथन फर्म अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध टेंडर बॉक्स में दिनांक 28/04/2018 को अपराह्न 11:00 बजे तक पहुँच जाने चाहिये। कोटेशन उसी दिन अपराह्न 11:30 बजे उपस्थित कोटेशन दाताओं या उनके अधीकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेंगी। निर्धारित समय के पश्चात कोई भी प्राप्त कोटेशन स्वीकार्य नहीं होगी। अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी भी कोटेशन को अस्वीकार्य करने के समस्त अधिकार है।

(विपिन कुमार सिंह)
अधिशासी अभियंता

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानिय परिक्षण परिमण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, वैशाली, गाज़ियाबाद।
2. लेखा शाखा नि. य. म. आगरा।
3. www.cwc.nic.in तथा <https://eprocure.gov.in> पर प्रकाशन हेतु।
4. कार्यालय सूचना-पट।

NIQ